**प्रकाशनार्थ अनुमोदित**

**<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर</u>**

**<u>एकल पीठ: माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश</u>**

**<u>प्रथम अपील संख्या 82/2004</u>**

**अपीलार्थी/प्रतिवादी:**

निर्मला, आयु लगभग 32 वर्ष, पति रमेश कुमार राठौर, पिता रामेश्वर प्रसाद राठौर, निवासी किरारी, थाना बाराद्वार, तहसील शक्ति, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

**विरुद्ध**

**प्रत्यर्थी/वादी:**

रमेश कुमार, आत्मज धनीराम राठौर, वरिष्ठ तकनीशियन (भूविज्ञान), कर्मचारी संख्या 212499, मैकेनिकल माइन्स, राजहरा, भिलाई स्टील प्लांट, राजहरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

**उपस्थिति:**

अपीलार्थी के लिए श्री एच.एस. पटेल, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी के लिए श्री आशीष श्रीवास्तव एवं श्री राकेश दुबे, अधिवक्तागण।

---

**<u>निर्णय</u>**

**(दिनांक 16 फरवरी 2006)**

यह अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, शक्ति, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा व्यवहार वाद क्र. 13-**A**/2003 में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 04.03.2004 के विरुद्ध निर्देशित की गई है, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी/वादी द्वारा हिंदू विवाह

अधिनियम 1955 (इसके बाद "अधिनियम") की धारा 13 के तहत प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित की गई है।

2. यह कि प्रत्यर्थी/वादी - रमेश कुमार और अपीलार्थी/प्रतिवादी - निर्मला के बीच विवाह दिनांक 20.04.1996 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था और उसके बाद, उन्होंने अपने वैवाहिक घर में पति-पत्नी के रूप में रहना शुरू किया। अपीलार्थी/प्रतिवादी ने दिनांक 04.09.1996 को अपने पति का घर त्याग दिया; जो प्रत्यर्थी/वादी द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद वापस नहीं आई। तत्पश्चात दिनांक 06.02.1997 को, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने परंपरागत विवाह-विच्छेद द्वारा अपने विवाह को भंग कर दिया और तब से वे अलग रह रहे हैं। इन आधारों पर, प्रत्यर्थी/वादी ने विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए अधिनियम की धारा 13 के तहत एक आवेदन दायर किया। अपीलार्थी/प्रतिवादी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और यह अभिवाक किया कि दिनांक 04.09.1996 को दहेज की मांग को लेकर उसके पति द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसे उसके ससुराल से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद, उसने अपने पति के साथ रहने के कई प्रयास किए, परंतु प्रत्यर्थी/वादी ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया। विवाह-विच्छेद के दस्तावेज डरा-धमका कर उससे हस्ताक्षरित कराए गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रकरणों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने, साक्ष्यों के मूल्याङ्कन के पश्चात, यह अभिनिर्धारित किया कि

पक्षकारों के बीच दहेज को लेकर कोई विवाद नहीं था। दिनांक 06.02.1997 को पक्षकारों के बीच परंपरागत विवाह-विच्छेद हुआ। उन्होंने इसके लिए सहमति दी और उसके बाद इसे स्वीकार करते हुए वे अलग रह रहे हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.02.1997 के परंपरागत विवाह-विच्छेद की पुष्टि करते हुए, दिनांक 04.03.2004 से विवाह-विच्छेद की डिक्री प्रदान की।

4) दोनों पक्षों के तर्कों को सुना गया। विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5) प्रत्यर्थी पति ने अधिनियम की धारा 13 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें यह प्रकटीकरण किया गया था कि दिनांक 06.02.1997 को उसके और उसकी पत्नी निर्मला के बीच परंपरागत विवाह-विच्छेद हुआ था। जब वह स्वयं यह अभिवचन कर रहा है कि दिनांक 06.02.1997 से पति-पत्नी का संबंध शेष नहीं रहा है, तो वह अधिनियम की धारा 13 के तहत आवेदन दायर करने का हकदार नहीं था, जो केवल पति या पत्नी को विवाह-विच्छेद के लिए आवेदन दायर करने हेतु अधिकृत करती है।

6) विवाह-विच्छेद केवल इस आधार पर अनुदत्त किया गया है कि पति और पत्नी पिछले छह वर्षों से अलग रह रहे हैं। यद्यपि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी/पत्नी निर्मला ने दिनांक 04.09.1996 से अपने पति का परित्यजन किया है, परंतु विवाद्यकों के विरुद्ध दिए गए निष्कर्ष उनके अपने निर्णय के प्रतिकूल हैं जो निर्णय की कंडिका 14 में निहित हैं। कंडिका 14 में, अधीनस्थ

न्यायालय ने यह विनिश्चय और अभिनिर्धारित किया  है कि पति और पत्नी, दिनांक 06.02.1997 के परंपरागत विवाह-विच्छेद को स्वीकार करते हुए, अलग रह रहे हैं। जब दोनों पक्षकार परस्पर समझौते से अलग रह रहे हैं, तो इसे अभित्यजन ) नहीं माना जा सकता। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा लिया गया आधार न तो अभिवचन के अनुसार परित्यजन था, और न ही विचारण न्यायालय के निर्णय के अनुसार परित्यजन सिद्ध हुआ है।

7) न तो प्रत्यर्थी की अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर याचिका पोषणीय थी और न ही इसमें परिकल्पित कोई आधार अभिवचित या सिद्ध किया गया था; इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 13 के तहत, अधीनस्थ न्यायालय को विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित करके परंपरागत विवाह-विच्छेद की पुष्टि करने की कोई शक्ति या अधिकारिता प्राप्त नहीं है। इसलिए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जाता है।

सही/-
**वी.के. श्रीवास्तव**
**न्यायाधीश**

16.02.2006

पद्मा

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur